आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 789/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एडलवाईज असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली प्रेस, बिल्डिंग नं. ई–3, झण्डेवाला एस्टेट, रानी झांसी रोड़, दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री कमलेश सोनी पुत्र श्री मदन लाल सोनी,
2. श्री मदन लाल सोनी पुत्र श्री बाबू लाल सोनी,
   पताः– 681, मैदावालो का मोहल्ला, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
3. श्री बाबूलाल सोनी पुत्र श्री घीसा लाल सोनी,
   पताः– 681, मैदावालों का मोहल्ला, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
   एवं पट्टा नं. 250, संकल्प संख्या 7, मुख्य बाजार, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
4. श्री विरेन्द्र सोनी पुत्र श्री मदन लाल सोनी,
5. श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री मदन लाल सोनी,
   पताः– 681, मैदावालों का मोहल्ला, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
6. श्री नित्यानंद शर्मा पुत्र श्री बाल मुकुंद शर्मा,
   पताः– मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री विकास मैसी, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 30.12.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वित्तीय संस्था एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **06.11.2015** को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्री बाबू लाल सोनी के स्वामित्व की संपत्ति पट्टा नं.250, संकल्प संख्या 7, मुख्य बाजार, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 46.76 वर्गगज** को बन्धक रख कर कुल राशि **07,00,000/–**रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **02.03.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। तत्पश्चात् दिनांक 22.12.2020 को एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक द्वारा एडलवाईज असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को जरिये असाइनमेन्ट एग्रीमेन्ट ऋणी का खाता स्थानान्तरित किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 07,00,000/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप मे अप्रार्थीगण न उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप मे प्रार्थी वित्तीय सस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 05,42,143/— रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 02.03.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्री बाबू लाल सोनी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति पट्टा नं. 250, संकल्प संख्या 7, मुख्य बाजार, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 46.76 वर्गगज** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 30.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर